तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहव… की त…
	मुकदमा पेशकार उप०/P.O. साहब ... पत्रावली दिनांक ... को पेश हो। रीडर	
17/1/18	मुकदमा के उपस्थित / पत्रावली कार्यालय आदेश से पेश हुई। प्रा० पत्र प्रार्थी बाबत ख० नं० 142 u/s 212 RTA स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को माध्यम तहसीलदार द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वो ख० नं० 142 वाके ग्राम रैणी तह० कठूमर की मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दस्तअन्दाजी नहीं करें। [illegible] पूरक [illegible] वाद पत्रावली के शामिल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कार्य हो सुनाया। SDOK	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/ 357 सन् 15

वउनवान

1. श्रीचन्द पुत्र कृपाल उर्फ कुप्पल जाति जाट निवासी बडका तहसील कठूमर जिला अलवर

----- सायल

बनाम

1. डी एफ ओ अलवर
2. रेंजर मैथना रुंध लक्ष्मणगढ
3. गार्ड (बनपाल) गार्ड रुंध मैथना तहसील लक्ष्मणगढ
4. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

---- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री गिरधारीलाल शर्मा एडवोकेट- वकील सायल

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट : वकील गैरसायल सं01,2

आदेश

दिनांक 17.01.2018

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी असरा नम्बर 142 रकवा 0.92 हे. ग्राम रेटी तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त आराजी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायल काबिज रहकर कातश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी के पास ही रुंध मैथना की जमीन है। जिस रुंध मैथना की जमीन की सरकार द्वारा आज से करीब 25 साल पहले पैमाइस कराई थी पैमाइस कराकर वन विभाग की भूमि के सहारे सहारे यानि विवादित आराजी के तर्फ पश्चिम व उत्तर दिशा में वन विभाग की भूमि सीमा पर 8 फुट चौडा व 5 फुट गहरा नाला खोद कर वृक्षारोपण कर दिया था। वन विभाग की भूमि की सीमा पर आज भी वही नाला बना हुआ है तथा वृक्षारोपण हो रही है। वन विभाग की जमीन का कोई हिस्सा विवादित आराजी में दवा नहीं है। विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान मनमर्जी तरीके से सायल की विवादित आराजी के

तरफ पश्चिम सिरे में 30 फुट व उत्तर साइड में 30 फुट जमीन वन विभाग की भूमि दवी बना होना बताकर विवादित आराजी पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है तथा सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना–पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 142 रकवा 0.92 हे. वाके ग्राम रेटी तहसील कठूमर के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करने व विवादित आराजी के किसी भी हिस्से पर कच्चा पक्का निर्माण ना करने वावत गैरसायलान को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 1 रकवा 1338 वीघा 8 विस्वा वाके ग्राम रूंध मैथना की आरक्षित वन भूमि (रिजर्व फोरेस्ट) है जो राजस्व रेकार्ड में वन विभाग राज0 सरकार के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि रियासत काल से वन विभाग की सम्पत्ति रही है जस पर वर्तमान में वन विभाग काविज है तथा वर्ष 1947 में तैयार की गई दी अलवर स्टेट फोरेस्ट सैटलमेंण्ट रिपोर्ट 1947 में भी उक्त आराजी रूध मैथना का रकवा 1338 वीघा दर्ज है। जो पीली किताव के नाम से जानी जाती है। सायल की भूमि खसरा नम्बर 142 वन विभाग की उक्त भूमि से लगती हुई होने की वजह से सायल अपनी आराजी की आड में उक्त वन विभाग की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। जिसने वन विभाग की भूमि के पिलान संख्या 51, 52, 53 के अन्दर जाकर मौके पर वन विभाग की भूमि पर जोत लगाकर सरसों बोते हुये अतिक्रमण कर लिया है। सायल वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहता है। यदि राजस्थान सरकार वन विभाग की भूमि पर कोई अवेद्य रूप से अतिक्रमण करता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.121996 एंव अरावली अधिसूचना दिनांक 07.05. 1992 एंव वन संरक्षण अधिनियम 1980 की पालना में अतिक्रमी के विरूद्व वन विभाग वन विभाग को कार्यवाही करने का अधिकार है। वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण हेतु खुदवाई गई खाई फैसिंग वन सीमा नहीं है अपितु उक्त खाई तत्तसमय वृक्षारोपण की मवेशियों से सुरक्षा हेतु खुदवाई गई थी। सायल ने वन विभाग की भूमि को हडपने की नियत से स्टे प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के साथ सायल ने प्रार्थना पत्र आर्डर 39 नियम 7 जा0दी0 पेश किया कि मौके पर नाला बना है उसकी मौके की निरीक्षण

रिपोर्ट तलव की जावे। जिस पर हमने उभय पक्षकारान की वहस सुनी। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन करने पर सायल का प्रार्थना पत्र आर्डर 39 नियम 7 जा0दी0 का खारिज किया जाता है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 1920 से 21, नक्शा ट्रेस ग्राम रूंध सरकारी, नक्शा ट्रेस ग्राम रेटी व संयुक्त मौका सर्वे रिपोर्ट दिनांक 13.06.2015, 14.06.2015 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

गैरसायल ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 1920 से 1921 संयुक्त मौका सर्वे रिपोर्ट दिनांक 13.06.2015 से 14.06.2015 व संयुक्त मौका सर्वे रिपोर्ट दिनांक 15.06.2015 से दिनांक 16.06.2015 व नजरी नक्शा की छाया प्रति व मौके के 4 फोटो ग्राफ पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है गैरसायलान विवादित आराजी से सायल को जवरन वेदखल कर कब्जा करना चाहते है कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वन विभाग की भूमि की सीमा पर सीमेंण्टेड पिलर बने हुये है उससे आगे तक सायल ने फसल वोकर वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपनी आराजी की आड में वन विभाग की भूमि पर सायल कब्जा करना चाहता है। वन विभाग की सरकारी भूमि पर सायल ने अतिक्रमण कर गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन कियागया। वहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर मनन किया। सायल ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। मुताविक जमाबन्दी ग्राम रेटी संवत् 2071 से 2074 खसरा नम्बर 142 रकवा 0.92 हे. प्रार्थी श्रीचन्द पुत्र कृपाल कौम जाट सा. बडका के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मुताविक जमाबन्दी मुफास्सिल मौजा रूंध मैथना संवत् 1998 सन् 1920 से 21 खसरा नम्बर 1 रकवा 1338.08

वीघा महबूजे सरिस्ते जंगलात दर्ज रेकार्ड है। जो आज भी वन विभाग के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एंव जवाव प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है कि ग्राम रेटी के खसरा नम्बर 142 रकवा 0.92 हे. एंव ग्राम रूंध मैथना के खसरा नम्बर 1 रकवा 1338.08 वीघा की खातेदारी के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हे। विवादग्रस्त दोनों खसरा नम्बरान की सीमा एक दूसरे से लगती हुई है ग्राम रूंध मैथना के खसरा नम्बर 1 रकवा 1338.08 वीघा की संयुक्त मौका सर्वे रिपोर्ट दिनांक 13.06.2015 व दिनांक 14.06.2015 एंव रिपोर्ट दिनांक15.06.2015 से 16.06.2015 के अनुसार सायल द्वारा गैरसायलान के खसरा नम्बर 1 में अतिक्रमण करना पाया जाता है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में ग्राम रूंध मैथना के खसरा नम्बर 1 में बने हुये नाले को दोनों विवादित खसरा नम्बरान की सीमा मानते हुये स्थगन जारी करने का निवेदन किया है। परन्तु मुताविक सर्वे रिपोर्ट नाला मुस्तकिल मुकाम नहीं है। सर्वे रिपोर्ट में रूंध की मिनारों के पत्थर को रेकार्ड से मिलान कर बाद तस्दीक स्थाई मुकाम कायम किया गया है। नाले को स्थगन का आधार विन्दु नहीं बनाया जा सकता है। परन्तु चूंकि खसरा नम्बर 142 रकवा 0.92 हे. है सायल की खातेदारी कब्जा काश्त में है अतः खसरा नम्बर 142 के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति के विन्दु सायल के पक्ष में सावित होते है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आदेश के साथ स्वीकार किया जाता है कि वाद पत्र के अंतिम निस्तारण तक गैरसायलान प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 142 रकवा 0.92 हे. में मौके पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलनदाजी मजाहमत नहीं करे। पक्षकारान एक दूसरे की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बरान की पवित्रता (Sanctity) बनाये रखें। पक्षकारान अपने अपने खसरा नम्बरान की नियमानुसार सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 17.01.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर